

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-13/2019/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21/04/2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अरण्य भवन, सेक्टर-19,
नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर,
अटल नगर, छत्तीसगढ़।

विषय:- Diversion of 12.899 ha of forest land in favour of CAF, Narayanpur, Chhattisgarh for Construction of 16th B.N. (I.R.) C.A.F. Head Quarter Establishment under Forest Conservation Act, 1980 in Narayanpur District in the State of Chhattisgarh.

- संदर्भ:-1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11-9/1998-FC दिनांक 15.02.2018।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी व.सं.अ. 80 छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विविध/115-13/457 दिनांक 25.02.2020।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी व.सं.अ. 80 छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विविध/115-741/1573, दिनांक 29.06.2019 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-741/3603, दिनांक 09.12.2019।

---00---

कृपया संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन करें।

2/- विषयांतर्गत प्रकरण में विभागीय पत्र क्र. एफ-5-13/2019/10-2 दिनांक 11.09.2019 के माध्यम से प्रथम चरण सैद्धान्तिक अनुमति जारी करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, को भेजा गया था। उक्त प्रस्ताव को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा दिनांक 16.12.2019 की REC (Regional Empowered Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त REC के द्वारा निर्देश दिये गये कि "प्रकरण को Hand book of FCA 1980 Published in March 2019 के Section 4.4 में General Approval के तहत दिये गये प्रावधानों के तहत राज्य शासन स्तर से अनुमति हेतु राज्य शासन को वापस किया जाये।"

3/- उक्त REC के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा विषयांकित प्रस्ताव को राज्य शासन को अपने पत्र क्रमांक एफसी.11/सीएच-120/2018- एनजीपी/6028 दिनांक 27.12.2019 को लेख किया गया।

4/- Hand book of FCA 1980 Published in March 2019 के Section 4.4 में दिये गये प्रावधान अनुसार 14 चिह्नित शासकीय विकासोन्मुखी और गैर वानिकी कार्य हेतु राज्य शासन स्तर से नक्सल प्रभावित जिलों के 40 हेक्टे. तक के वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में सामान्य अनुमोदन के तहत अनुमति प्रदान की जा सकती है बशर्ते इन प्रकरणों को राज्य स्तर की समिति के समक्ष विचार हेतु रखा जावेगा।

5/- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11-9/1998-FC दिनांक 15.02.2018 के तहत नक्सल प्रभावित जिलों में 5.00 हे. से 40.00 हे. तक चिह्नित शासकीय विकासोन्मुखी गैर वानिकी कार्य, जिनमें 50 वृक्ष प्रति हे. से ज्यादा वृक्ष कटाई सम्मिलित हो, ऐसे प्रकरणों में सामान्य अनुमोदन के तहत अनुमति बाबत निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन स्तर पर गठित State Level Committee को दिया गया है।

Regd.

6/— विषयांकित प्रकरण State Level Committee की बैठक दिनांक 10.02.2020 में APCCF (L/M) के द्वारा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी व.सं.अ. 80 छ0ग0 के संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण जारी किया गया।

7/— उक्त कार्यवाही विवरण में विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक अनुमति जारी करने के पूर्व वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल आरेंज एरिया है अथवा नहीं, यह प्रमाणित करता हुआ स्थल की उपयुक्तता का संशोधित प्रमाण पत्र संबंधित वनमंडलाधिकारी से प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों का पालन करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-741/559, दि. 29.02.2020 के माध्यम से संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8/— विषयांकित प्रकरण में State Level Committee की बैठक दिनांक 10.02.2020 में लिये गए निर्णय तथा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11-9/1998-FC दिनांक 15.02.2018 में निहित प्रावधानों के तहत विचारोंपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत ग्राम गढ़बेंगाल में 12.899 हे. राजस्व वन भूमि में नवगठित सेनानी 16 वीं वाहिनी छ.ग. सशस्त्र बल. मुख्यालय हेतु "आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन की स्थापना हेतु आवेदनकर्ता, सेनानी 16 वीं वाहिनी (भा./र.), छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नारायणपुर को उक्त वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
- 2.(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत नारायणपुर परिक्षेत्र अन्तर्गत निम्नानुसार नारंगी वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा :-

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित रकबा हे. में
1	नारायणपुर	नारायणपुर	खड़कागांव नारंगी वनखंड 2359	25.798
योग :-				25.798

- (ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
3. उपयोगकर्ता, वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।
- 4.(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1996 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-II) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 12.899 हे. वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशि वसूल की जायेगी।
- (ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता से वसूल की जाएगी। उपयोगकर्ता इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

5. परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।
6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
7. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा।
8. प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन क्षेत्र में वृक्ष नहीं काटे जाएंगे।
9. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अंतर्गत यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृति की आवश्यकता हो तो स्वीकृति ली जायेगी।
10. प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य में निर्माण के दौरान अथवा निर्माण पश्चात् भविष्य में निकलने वाले अपशिष्ट (Biomedical waste, Radioactive waste, Hazardous chemical waste, Solid waste etc) का नियमानुसार उचित प्रबंधन किया जायेगा। उक्त प्रबंधन हेतु यदि किसी प्रकार के नियम अधिनियम के तहत स्वीकृति आवश्यक हो तो तदनुसार स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। किसी भी स्थिति में उपरोक्त अपशिष्ट को वन क्षेत्र में dispose off नहीं किया जायेगा।
11. आवेदक संस्थान उपरोक्त शर्त के पालन हेतु लागू समस्त नियम अधिनियम जैसे पर्यावरण/अपशिष्ट प्रबंधन अथवा अन्य, के अनुरूप विस्तृत कार्ययोजना बनायेंगे तथा संबंधित विभागों से अनुमोदित करारकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के माध्यम से औपचारिक अनुमति के पूर्व अनुमोदित कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे।
12. भारत सरकार के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11-9/1998-FC दिनांक 15.02.2018 के बिंदु क्र. 3 (4) में उल्लेखित तालिका अनुसार नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित करेंगे।
13. आवेदित वन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को आवेदक संस्थान स्वयं के खर्च पर वैकल्पिक ईंधन प्रदाय की जायेगी, जिससे आस-पास के वन क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी की अवैध कटाई न हो सके।
14. आवेदित वन क्षेत्र में गैर वानिकी निर्माण कार्य के पश्चात् बचे खुले क्षेत्र में आवेदक संस्थान द्वारा स्वयं के खर्च पर स्थानीय वनाधिकारियों के मार्गदर्शन में यथासंभव वृक्षारोपण किया जायेगा।
15. आवेदित गैर वानिकी कार्य के दौरान पथरों को तोड़ने हेतु ब्लास्टिंग प्रतिबंधित रहेगा। यह कार्य मजदूरों के माध्यम से परंपरागत तरीके से कराया जायेगा, जिससे क्षेत्र के फाना पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
16. आवेदक संस्थान व्यपवर्तित वन भूमि को अन्य किसी भी संस्थान/व्यक्ति को कोई भी कार्य के लिए हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे।
17. व्यपवर्तित वन क्षेत्र के आस-पास के पलोरा एवं फॉना को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी।
18. आवेदक संस्थान स्वयं के खर्च पर व्यपवर्तित स्थल का सीमांकन चार फीट ऊंचे आर.सी.सी. बाऊंड्री पिल्हर के माध्यम से किया जायेगा। उक्त पिल्हर में फारवर्ड एवं बैक बियरिंग भी दर्ज की जायेगी।
19. व्यपवर्तित वन क्षेत्र के आस-पास के वन क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना न हो सके इसके पर्याप्त प्रबंध आवेदक संस्थान द्वारा किये जायेंगे।
20. आवेदित गैर वानिकी कार्य में कार्यरत मजदूरों हेतु व्यपवर्तित वन क्षेत्र के बाहर के वन क्षेत्र में झोपड़ी/अस्थायी निवास का निर्माण प्रतिबंधित होगा।
21. आवेदित गैर वानिकी कार्य में उपयोग किये जाने वाले मशीनों का Installation व्यपवर्तित वन क्षेत्र के बाहर प्रतिबंधित होगा।

22. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को उचित माध्यम से निवेदन करेंगे।

23. क्षेत्र के फलोरा एवं फौना के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

9/- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से शर्त संख्या 2, 3, 4, 10 एवं 11 की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इस प्रकरण का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

10/- जब तक राज्य शासन औपचारिक अनुमोदन न कर दे, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम द्वारा उपयोगकर्ता को वनभूमि के वनेत्तर उपयोग का आदेश जारी न किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

K. Rajput
(के.पी.राजपूत) 20.4.2020
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठांकमांक एफ-5-13/2019/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21/04/2020

प्रतिलिपि :-

1. वन महानिरीक्षक, (एफ.सी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर (छ.ग.)।
4. वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल नारायणपुर (छ.ग.)।
5. आवेदनकर्ता, सेनानी 16 वीं वाहिनी (भा./र.), छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नारायणपुर, छ.ग। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. आदेश फोल्डर।

K. Rajput
अवर सचिव 20.4.2020

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग